बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः—आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण का बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के रूप में गठन और एतदर्थ स्मृति—पत्र एवं उपविधियाँ की स्वीकृति और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत इसके निबंधन की स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2018—19 में एक महत्वाकांक्षी योजना "आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM)" प्रारंभ की गयी है। यह एक पात्रता आधारित योजना है और इसके लिए औपचारिक नामांकन प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत सामाजिक—आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 के डाटा में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस राज्य के लगभग 1,08,95,176 परिवारों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,29,655 एवं शहरी क्षेत्रों 8,65,521 परिवार शामिल है। गरीब परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर प्राप्त हो जाती है। द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा सकेगी। इस योजना के तहत चिह्नित प्रत्येक लाभुक परिवार को देश के सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस एवं पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की विशेषताएँ निम्नवत् हैं :—

i. पाँच लाख रुपये तक का चिकित्सा सुरक्षा प्रतिवर्ष प्रति परिवार।

ii. परिवार के आकार, आयु और लिंग का कोई प्रतिबंध नहीं है।

iii. सामाजिक—आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 डेटाबेस में मौजूद चिह्नित पात्र परिवारों के सभी सदस्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में शामिल होंगे।

iv. योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

v. पहले से मौजूद सभी बीमारियों पर योजना के पहले दिन से चिकित्सा सुरक्षा प्राप्त होगी। अस्पताल में भर्त्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी चिकित्सा सुरक्षा में शामिल हैं।

vi. भारत के किसी भी स्थान में सभी सार्वजनिक या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जाकर कैशलेस उपचार करवाया जा सकता है।

2. राज्य में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत गठित होने वाली **"बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति"** "आयुष्मान भारत—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन" के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के रूप में कार्य करेगी ।

राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा वहन किए जाने वाले दायित्व निम्नांकित होंगे :—

(क) राज्य में Implementation Support Agency (ISA) का चयन।

(ख) योजना के संबंध में प्रचार—प्रसार।

(ग) अस्पतालों को सूचीबद्ध करना।

(घ) योजना की प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

(ड़) धोखाधड़ी नियंत्रण।

(च) चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई।

(छ) अस्पतालों के दावों का प्रबंधन एवं शासन।

(ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा प्रदत्त चिकित्सा पैकेज का आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण एवं संशोधन।

(झ) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण अपनी उप–विधियों के अधीन AB-NHPM के संबंध में आगे सभी नीतिगत निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।

3. योजना का कार्यक्षेत्र बिहार के सभी 38 जिले हैं। राज्य में आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन के लिए योजना को एस्योरेंस मोड में संचालित किया जाना है। इसके तहत एक सोसाइटी बनाकर सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से बिना बीमा कंपनी को शामिल किए चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाती है। राज्य में AB-NHPM के संचालन के लिए स्थापित किए जाने वाले सोसाइटी के अधीन आवश्यक संख्या में राज्य एवं जिला स्तर पर पदों का सृजन किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा अस्पतालों का दावा प्रबंधन, धोखाधड़ी नियंत्रण, फिल्ड सपोर्ट जैसे कतिपय कार्यों में सहयोग हेतु Implementation Support Agency (ISA) का चयन किया जाएगा। एतदर्थ एक MoU राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला आई०टी० फ्लेटफार्म ही राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा उपयोग किया जायेगा।

4. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) अर्थात बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, के द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णयों हेतु एक शासी निकाय (Governing Body) एव इसके कार्यकलापों के संचालन हेतु एक कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का निम्नरूपेण गठन का प्रस्ताव है:–

शासी निकाय (Governing Body)

क्रमांक	पदनाम	पद–स्थिति
i	विकास आयुक्त, बिहार	अध्यक्ष
ii	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य
iii	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
iv	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार	सदस्य
v	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार	सदस्य
vi	प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार	सदस्य
vii	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।	सदस्य
viii	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
ix	निदेशक प्रमुख (प्रषासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार	सदस्य
x	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, बिहार	सदस्य–सचिव
xi	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, भारत सरकार	विशेष आमंत्रित सदस्य

कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

क्रमांक	पदनाम	पद–स्थिति
i	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	अध्यक्ष
ii	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य

iii	वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
iv	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
v	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
vi	निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार सरकार	सदस्य
vii	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण	सदस्य–सचिव

5. **बजटीय प्रावधान** आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) योजना पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्रांश और राज्यांश की सम्मिलित राशि से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–110–अन्य बीमा योजनायें, मॉग संख्या–20, उपशीर्ष–0205–आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) विपत्र कोड–20-2235.60-110-0205 एवं मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–110–अन्य बीमा योजनायें, मॉग संख्या –20,उपशीर्ष–0305–आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) विपत्र कोड–20-2235.60-110-0305 के तहत बजट उपबंध के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण का बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के रूप में गठन और एतदर्थ स्मृति–पत्र एवं उपविधियाँ की स्वीकृति और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत इसके निबंधन की स्वीकृति दी जाती है।
7. भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के सिर्फ नाम में यदि कोई परिवर्त्तन किया जाता है तो तद्नुरूप, इस योजना का नाम परिवर्त्तित समझा जायेगा।
8. स्मृति–पत्र (MoA) एवं उप–विधियाँ (Bye-laws) विधि विभाग द्वारा विधिक्षित हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प0क0–09–10/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–10/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–10/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–10/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–10/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.08.2018 में मद संख्या–24 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–10/2018– 767(12)/पटना, दिनांक 05/09/2018

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/9/2018

सरकार के प्रधान सचिव।